(b) International T.V. services are provided by the Overseas Communications Service to Doordarshan and other agencies according to the bookings made. No formal agreements are necessary in this regard between the Overseas Communications Service and foreign telecommunication administrations.

श्रमिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत शिक्षित किये गये श्रमिक

4152. **श्री हरगोविन्द वर्मा :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत अब तक कितने श्रमिकों को शिक्षित किया गया है;

(ख) क्या शिक्षित किए गए श्रमिकों की संख्या सन्तोषजनक है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने शिक्षित श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करने हेतु कोई निर्णय किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिन्हा) : (क) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, अक्तूबर, 1977 के अन्त तक श्रमिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या 30,51,000 है। इस के अतिरिक्त अनुदान ग्राहियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में एक लाख इक्यासी हजार श्रमिकों ने भाग लिया।

(ख) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं।

(ग) बोर्ड से ग्रामीण श्रमिकों की शिक्षा के लिए सात क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रायोगिक परियोजनाएं चलाने का हाल ही में निर्णय किया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम को दी गई राशि

4153. **श्री हरगोविन्द वर्मा :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम की परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है और यदि हां, तो वर्ष 1976 तक सरकार ने कितनी राशि दी और 1977 और 1978 के दौरान सरकार का कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिन्हा) : जी नहीं। इन परियोजनाओं का खर्च कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नियोजकों तथा कर्मचारियों से अंशदान लेकर एकत्र धन से चलाया जाता है। चिकित्सा लाभों की व्यवस्था पर होने वाला खर्च कर्मचारी राज्य बीमा निगम व राज्य सरकारों द्वारा 7 : 1 के अनुपात में वहन किया जाता है।

Waiving of damages by Employees Provident Fund Commissioner

4154. SHRI S. NANJESHA GOWDA.
SHRI CHATURBHUJ:

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether damages on belated payments of Employees' Provident Fund are levied under para 14-B of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952;

(b) whether the Central Provident Fund Commissioner has not been delegated with any power under the Act and the scheme framed thereunder to waive/reduce the damages once levied;

(c) whether Government are aware that damages worth crores of rupees in respect of hundreds of defaulting establishments have been illegally waived/reduced by the present Central P.F. Commissioner; and

(d) if so, what action Government have taken against the officer concerned and if not, the reasons therefor?